


60
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 लिंक कोर्ट
रीवा (म0प्र0)

डी के ल. विवादा

एड.

डा. प्रताप



1. शिवेन्द्र बहादुर सिंह
2. देवेन्द्र बहादुर सिंह
3. तीर्थेन्द्र बहादुर सिंह
4. मृगेन्द्र बहादुर सिंह
5. कोमल प्रताप सिंह

R-1372-1/12

सभी के पिता स्व. लालबिहारी सिंह
सभी निवासी ग्राम-अहिरगाँव,
तहसील - अमरपाटन, जिला-सतना म0प्र0
—निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. डॉ. अरुण प्रताप सिंह तनय महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम-खुटेही, सिरमौर रोड, ब्लाक आफिस के बगल में, रीवा, तहसील हुजूर, जिला-रीवा (म0प्र0)
 2. बीरेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व. लालयादवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम-खुटेही, सिरमौर रोड, ब्लाक आफिस के बगल में, रीवा, तहसील हुजूर, जिला-रीवा (म0प्र0)
- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग
रीवा के प्रकरण क्र0 628/अपील/11-12
में पारित आदेश दिनांक 12.03.2012.

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता 1959

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न हैं :-


1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक 12.03.2012 विधि प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा गैरनिगराकार ही अवधि बाधित अपील को स्वीकार करने में कतई इस महत्वपूर्ण वैधानिक विन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया कि वह किस सीगे की अपील की सुनवाई है। इस महत्वपूर्ण विन्दु को बिना ध्यान दिये ही अवधि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1372-I/12

जिला-सतना

शिवेन्द्र बहादुर सिंह / डा० अरूण प्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
18.01.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M